

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(13)राज/वाद/17

जयपुर, दिनांक 13/11/2020

श्री _____

विशिष्ट/अपर लोक अभियोजक(म0उ0प्र0)

श्रीगंगानगर, जोधपुर महानगर, उदयपुर/ सं01 व सं02 कोटा/ सं01, जयपुर महानगर, भरतपुर, बीकानेर।

विषय:- दिनांक 20-24 जनवरी 2020 तक Women's Safety पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु।

सन्दर्भ:- निदेशक राजस्थान स्टेट ज्यूडिशियल अकादमी का पत्र क्रमांक RSJA/ACY/In-service/2020/89-90 दिनांक 07.01.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा राजस्थान ज्यूडिशियल अकादमी, जोधपुर ने Women's Safety पर दिनांक 20-24 जनवरी 2020 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया है।

अतः कालम सं0 2 में वर्णित न्यायालयों में राज्य की ओर पैरवी हेतु नियुक्त कालम सं0 3 में वर्णित विशिष्ट/अपर लोक अभियोजक (म0उ0) को मनोनीत करते हुये निर्देशित किया जाता है कि उक्त 04 दिवसीय प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से भाग लेवें साथ ही इस संबंध में आवश्यक निर्देशों व ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानकारी हेतु राजस्थान राज्य ज्यूडिशियल अकादमी की वेबसाईट rajasthanjudicialacademy.nic.in का नियमित रूप से अवलोकन (visit) करें।


क्र0सं0	न्यायालय का नाम	कार्यरत अभियोजक का नाम	दूरभाष नं0
1	2	3	4
1	विशिष्ट सेशन न्यायालय (म0उ0) श्रीगंगानगर	श्री बलवंत राम	9413229251 9460390929
2	अतिरिक्त सेशन न्यायालय (म0उ0) जोधपुर महानगर	श्रीमती शबनम बानो	8769063619
3	अतिरिक्त सेशन न्यायालय (म0उ0) उदयपुर	डॉ0 गिरधारी लाल शर्मा	9252090924 9461090924
4	विशिष्ट सेशन न्यायालय (म0उ0) सं01, कोटा	श्री एहसान अहमद (अभियोजन सेवा)	9460848010
5	अतिरिक्त सेशन न्यायालय (म0उ0) सं02 कोटा	श्री भूपेन्द्र कुमार मित्तल	6376774090
6	विशिष्ट सेशन न्यायालय (म0उ0) सं01, जयपुर महानगर	श्री मंगल चन्द मीणा (अभियोजन सेवा)	9602111114
7	अतिरिक्त सेशन न्यायालय (म0उ0) भरतपुर	श्री कुलदीप सिंह धनकर	9461462100
8	अतिरिक्त सेशन न्यायालय (म0उ0) बीकानेर	श्री भवानी शंकर शर्मा	9386895464

ह0

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, राजस्थान राज्य ज्यूडिशियल अकादमी, जोधपुर को उनके पत्रांक RSJA/ACY/In-service/2020/89-90 Date: 07-01-2020 के क्रम में।
2. विशिष्ट शासन सचिव, गृह को संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर एनेक्चर-ए के क्रस0 6 से 34 एवं एनेक्चर-बी के क्रस0 4 में वर्णित न्यायालयों में नियुक्त लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक को उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु निर्देशित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. संबंधित न्यायालय।
4. प्रोग्रामर विधि विभाग।


(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि